सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

अति महत्वपूर्ण/अनुस्मारक—2

पत्रांक—31 /कु0स0का0/सि0वि0वि0/2026 दिनांक— 16—04—2026

सेवामें,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय :— **उच्च शिक्षण संस्थानों में दिनांक 10 से 20 अप्रैल 2026 के मध्य ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023'' प्रचार अभियान के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ0शि0), उ0प्र0, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज के पत्र संख्या—डिग्री विकास/123/2025—26 दिनांक 16—04—2026 एवं पत्र संख्या—डिग्री विकास/114/2025—26 दिनांक 15—04—2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र के क्रम में उच्च शिक्षण संस्थानों में दिनांक 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 के मध्य ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम—2023'' प्रचार अभियान के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजन किये जाने हेतु दिशा—निर्देश दिये गये है। (पत्र संलग्न)

उपरोक्त के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या—19/कु0स0का0/सि0वि0वि0/2026 दिनांक 13—04—2026 एवं अनुस्मारक—1 पत्र संख्या—30/कु0स0का0/सि0वि0वि0/2026 दिनांक 15—04—2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अतः उक्त के संदर्भ में समस्त अवगत कराना है कि नारी शक्ति वंदन के संदर्भ में वर्चुअल समीक्षा बैठक दिनांक 14—04—2026 में उच्च शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में नारी शक्ति वंदन पर चर्चा हुई एवं नारी शक्ति वंदन में दिये गये कार्यक्रमों के अनुसार अक्षांशः पालन किया जाना अपेक्षित है, तदक्रम में अधिक से अधिक छात्र—छात्रओं/अभिभावकों में प्रचार—प्रसार करते हुए **प्रतिदिन की कृत कार्यवाही की प्रगति आख्या कुलसचिव कार्यालय के ई—मेल आई0डी0 registrar@suksn.edu.in पर एवं परीक्षा नियंत्रक के ई—मेल आई0डी0 coe@suksn.edu.in पर** आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की प्रगति आख्या से ससमय शासन को अवगत कराया जा सकें। **यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त विषय पर अतिमहत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किया जाय।**

संलग्नक— यथोपरि।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक— /तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (उ0शि0), उ0प्र0, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),उ0प्र0,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
प्रयागराज।

नारी शक्ति विशेष वन्दन/अति महत्वपूर्ण/ई – मेल

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/ 123 /2025-26 दिनांक –16 /04/2026

विषय – उच्च शिक्षण संस्थानों में दिनांक 10 से 20 अप्रैल, 2026 के मध्य "नारी शक्ति वंदन अधिनियम – 2023" प्रचार अभियान के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 363/सत्तर – 3 – 2026 दिनांक 11 अप्रैल, 2026, इस कार्यालय के पत्रांक डिग्री विकास/99 – 104/2026 – 27 दिनांक 13 अप्रैल, 2026 एवं डिग्री विकास/114/2026 – 27 दिनांक 15 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में दिनांक 10 से 20 अप्रैल, 2026 के मध्य "नारी शक्ति वंदन अधिनियम – 2023" प्रचार अभियान के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजन किये जाने हेतु दिशा – निर्देश दिये गये हैं।

आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि शासन के पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 2026 के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित कार्ययोजनानुसार शासन के पत्र में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में अपेक्षानुसार की गयी प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की सूचना प्राप्त कर **प्रतिदिन की कृत कार्यवाही की समेकित एवं संकलित सूचना दिये गये गूगल फार्म https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ4hRIydiQBIfSuoRCKk531MBTJykWmQ7KfSGRNYZSsqKgA/viewform?usp=publish-editor** पर पूर्ण कर संलग्न प्रारूप पर भी इस कार्यालय की ई – मेल आई0डी0 **dhenarishaktivandan@gmail.com** पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है अतएव आप सभी का व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक – प्रारूप।

भवदीय,
16/4/26
डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ 123 – 26 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित कर उक्त सूचना का प्रेषण सुनिश्चित करायें।
3. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालय से उक्त कार्यवाही कराते हुए समेकित सूचना अधोहस्ताक्षरी को इस कार्यालय की ई – मेल आई0डी0 पर **dhenarishaktivandan@gmail.com** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

16/4/26
डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

महिला आरक्षण अधिनियम–2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के तहत कराये गये कार्यक्रमों का विवरणः–

महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का प्रकार (GOVT/AIDED/ SELF FINANCE/STATE/PVT UNIVERSITY)	उच्च शिक्षण संस्था का नाम	दिनांक	कार्यक्रमों के नाम	प्रत्येक कार्यक्रम में प्रतिभागी छात्राओं एवं महिलाओं की संख्या पृथक–पृथक अंकित करें	जियो टैगिंग फोटोग्राफ	समाचार पत्रों प्रकाशित समाचार की प्रति
1	2	3	4	5	6	7
			नारी शक्ति पद यात्रा			
			नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सपोर्ट हेतु मोबाइल नं0– 9667173333 पर मिस्ड कॉल।			
			नारी शक्ति दीवार एवं हस्ताक्षर अभियान।			
			मानव श्रृंखला।			
			स्कूटी रैली।			
			नूक्कड़ नाटक।			
			चित्रकला।			
			सैंडआर्ट।			
			नारी वंदन अधिनियम थीम पर रंगोली।			
			अन्य कार्यक्रम।			

नोटः– कालम नं0–06 एवं 07 से सम्बन्धित सामग्री अवश्य संलग्न करें साथ साफ्टकॉपी, एक्सेल सीट में ई–मेल आई0डी0–dhenarishaktivandan@gmail.com पर कार्यक्रम सम्पन्न होने के पश्चात् अगले दिन उपलब्ध करायें।

हस्ताक्षर

प्राचार्य / नोडल अधिकारी

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0 (भारत)

Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

अनुस्मारक—1

पत्रांक—30 /कु0स0का0/सि0वि0वि0/2026 दिनांक— 15—04—2026

सेवामें,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय :— उच्च शिक्षण संस्थानों में दिनांक 10 से 20 अप्रैल 2026 के मध्य "नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023" प्रचार अभियान के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या—363/सत्तर—3—2026 दिनांक 11 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (पत्र संलग्न)। जिसके द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित होने वाला विशेष संसद सत्र नारी शक्ति वंदन के संदर्भ में अत्यंत ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है। यह सत्र महिला शस्कितकरण की दिशा में नये अध्याय का प्रतीक होगा। उक्त के क्रम में दिनांक 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक पूरे प्रदेश में समन्वित अभियान चलाया जायेगा, जिसके अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियां निर्धारित की गयी है (सूची संलग्न)।

उपरोक्त के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या—19/कु0स0का0/सि0वि0वि0/2026 दिनांक 13—04—2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अतः अवगत कराना है कि नारी शक्ति वंदन के संदर्भ में वर्चुअल समीक्षा बैठक दिनांक 14—04—2026 में उच्च शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में नारी शक्ति वंदन पर चर्चा हुई एवं नारी शक्ति वंदन में दिये गये कार्यक्रमों के अनुसार अक्षांशः पालन किया जाना अपेक्षित है, तद्क्रम में अधिक से अधिक छात्र—छात्रओं/अभिभावकों में प्रचार—प्रसार करते हुए **प्रतिदिन की प्रगति आख्या कुलसचिव कार्यालय के ई—मेल आई0डी0 registrar@suksn.edu.in पर एवं परीक्षा नियंत्रक के ई—मेल आई0डी0 coe@suksn.edu.in पर** आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की प्रगति आख्या से ससमय शासन को अवगत कराया जा सकें। **यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त विषय पर अतिमहत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किया जाय।**

संलग्नक— यथोपरि।

15/04/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक— /तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

महिला आरक्षण अधिनियम–2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के तहत कराये गये कार्यक्रमों का विवरणः–

महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का प्रकार (GOVT/AIDED/ SELF FINANCE/STATE/PVT UNIVERSITY)	उच्च शिक्षण संस्था का नाम	दिनांक	कार्यक्रमों के नाम	प्रत्येक कार्यक्रम में प्रतिभागी छात्राओं एवं महिलाओं की संख्या पृथक–पृथक अंकित करें	जियो टैगिंग फोटोग्राफ	समाचार पत्रों प्रकाशित समाचार की प्रति
1	2	3	4	5	6	7
			नारी शक्ति पद यात्रा			
			नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सपोर्ट हेतु मोबाइल नं0–9667173333 पर मिस्ड कॉल।			
			नारी शक्ति दीवार एवं हस्ताक्षर अभियान।			
			मानव श्रृंखला।			
			स्कूटी रैली।			
			नूक्कड़ नाटक।			
			चित्रकला।			
			सैंडआर्ट।			
			नारी वंदन अधिनियम थीम पर रंगोली।			
			अन्य कार्यक्रम।			

नोटः– कालम नं0–06 एवं 07 से सम्बन्धित सामग्री अवश्य संलग्न करें साथ साफ्टकॉपी, एक्सेल सीट में ई–मेल आई0डी0–dhenarishaktivandan@gmail.com पर कार्यक्रम सम्पन्न होने के पश्चात् अगले दिन उपलब्ध करायें।

हस्ताक्षर

प्राचार्य / नोडल अधिकारी

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0 (भारत)

Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक— 19 /कु0स0का0/सि0वि0वि0/2026 दिनांक—13 —04—2026

सेवामें,

1. **अधिष्ठाता, छात्र कल्याण**
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, (परिसर)
2. **प्राचार्य/प्राचार्या,**
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय :— उच्च शिक्षण संस्थानों में दिनांक 10 से 20 अप्रैल 2026 के मध्य "नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023" प्रचार अभियान के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या—363/सत्तर—3—2026 दिनांक 11 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (पत्र संलग्न)। जिसके द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित होने वाला विशेष संसद सत्र नारी शक्ति वंदन के संदर्भ में अत्यंत ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है। यह सत्र महिला शस्कितकरण की दिशा में नये अध्याय का प्रतीक होगा। उक्त के क्रम में दिनांक 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक पूरे प्रदेश में समन्वित अभियान चलाया जायेगा, जिसके अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियां निर्धारित की गयी है (सूची संलग्न)।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में संलग्न पत्र के अनुसार इंगित कार्यक्रमों को सम्पन्न कराते हुए उसकी विशेष चयनित फोटोग्राफ एवं कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के ई—मेल आई0डी0 registrar@suksn.edu.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त सूचना शासन को ससमय प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक— यथोपरि।

13/04/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक— /तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-३८३./सत्तर-3-2026

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **निदेशक,** उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- **कुल सचिव,** समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।

3- **समस्त** क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक ।। अप्रैल, 2026**

विषयः उच्च शिक्षण संस्थानों में दिनांक 10 से 20 अप्रैल 2026 के मध्य "नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023" प्रचार अभियान के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित होने वाला विशेष संसद सत्र नारी शक्ति वंदन के संदर्भ में अत्यंत ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है। यह सत्र महिला शस्कितकरण की दिशा में नये अध्याय का प्रतीक होगा। उक्त के क्रम में दिनांक 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक पूरे प्रदेश में समन्वित अभियान चलाया जायेगा, जिसके अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियां निर्धारित की गई हैं (सूची संलग्न)।

2- कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित की गई गतिविधियों की सूची के बिन्दु जिनके संबंध उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजन/कार्यवाही किया जाना है।

(1) बिन्दु 04- नारी शक्ति पदयात्रा (15 और 16 अप्रैल 2026)

- प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में नारी शक्ति पदयात्रा का आयोजन किया जाये।
- पदयात्रा में बैनर एवं कार्ड का प्रयोग भी किया जाये।
- पदयात्रा का नेतृत्व प्रतिष्ठित/सामाजिक सेविका महिला से करवाया जाये।
- देश में लखपति दीदी लाभार्थियों, महाविद्यालय के लाभार्थियों, NCC/NSS के वॉलंटियर्स को भी पदयात्रा में जोड़ा जाये।

(2) 09- नारी शक्ति दीवार और मानव श्रृंखला (11 अप्रैल)

- सभी प्रमुख स्थानों पर "नारी शक्ति दीवार" स्थापित की जाये, जहाँ महिलाओं से अपने विचार लिखने एवं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में हस्ताक्षर करने का आग्रह किया जाये।
- कम से कम 50 महिला कॉलेज, हॉस्टल, महाविद्यालयों आदि पर मानव श्रृंखला बनाई जाये। इस गतिविधि में बैनर और कार्ड का प्रयोग भी किया जाये।

(3) बिन्दु 06- मिस्ड कॉल नम्बर एवं स्टिकर (10 अप्रैल)

- जनसमर्थन जुटाने हेतु मिस्ड कॉल नंबर और स्टिकर जारी किया जाये।
- स्टिकर को सभी कार्यक्रम जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पदयात्रा, सम्मेलन, इस नंबर और स्टिकर टाउनहॉल में प्रमोट करना है।
- जनसंपर्क के दौरान घर, बाइक आदि पर सीधे-सीधे स्टिकर लगाना है।

(4) बिन्दु 08- कलात्मक नवाचार (अभियान के दौरान)

- सैंड आर्ट, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, लोकगीत, और अन्न प्रयोग से विमर्श निर्माण करना है।

3- इस संबंध मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 10 से 20 अप्रैल तक चलाये जा रहे उक्त समन्वित अभियान के अंतर्गत संचालित किये जाने वाली गतिविधियों (प्रस्तर 2 के बिन्दु 1 व 2) का आयोजन कराते हुए प्रस्तर 2 के बिन्दु 3 व 4 पर उल्लिखित कार्यक्रम के संचालन हेतु संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर आयोजन को सफल जाने के संबंध में त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत अभियान हेतु संचालित किये जाने वाली गतिविधियों संबंधी सूची (छायप्रति संलग्न) में उल्लिखितनोट/दिशा निर्देश का संज्ञान लेते हुए उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए आयोजन के सफल संचालन हेतु समस्त कार्यवाहियां/आयोजन समयान्तर्गत पूर्ण करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है अतः व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

(शकील अहमद सिद्दीकी),
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, माननीय मंत्री।
2- अपर प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग/सूचवा विभाग/ग्राम विकास विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/युवा कल्याण विभाग/संस्कृति विभाग/नगर विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाईल।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी),
संयुक्त सचिव।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम — प्रचार अभियान

[10 अप्रैल, 2026 — 20 अप्रैल, 2026]

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित होने वाला विशेष संसद सत्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में अत्यंत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। यह सत्र महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नए अध्याय का प्रतीक होगा।

इसी संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन जी के निर्देशानुसार 10 से 20 अप्रैल तक पूरे देश में समन्वित अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी:

क्र.	गतिविधि [दिनांक]	विवरण	दायित्व	विभाग
1	प्रेस कॉन्फ्रेंस [11 और 13 अप्रैल]	• पूरे देश के 100 प्रमुख मीडिया केंद्रों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी • बड़े शहरों में 2 कॉन्फ्रेंस करने की योजना बनाई जाएगी • 11 और 12 अप्रैल को संगठन द्वारा एवं • 12 और 13 अप्रैल को अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा	प्रदेश भाजपा संगठन	सूचना विभाग
2	टाउन हॉल कार्यक्रम [12 से 15 अप्रैल] (14 अप्रैल — डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती का दिन छोड़कर)	• पूरे देश में अभियान 15 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाएगा • कार्यक्रमों में गैर-राजनीतिक एवं राजनीतिक महिला नेतृत्व को आमंत्रित किया जाएगा • दिल्ली में समापन माननीय प्रधानमंत्री जी तथा प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा • मंच पर केवल महिला वैचारिक नेतृत्व को स्थान दिया जाएगा • जिन प्रदेशों में भाजपा सरकार नहीं है, वहाँ नेता प्रतिपक्ष तथा केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी • टाउनहॉल कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रदेश महिला आयोग या किसी अन्य सामाजिक संगठन के तत्वावधान में किए जा सकते हैं • सभी स्थानीय महिला जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी	राष्ट्रीय महिला आयोग प्रदेश महिला आयोग	महिला एवं बाल विकार विभाग महिला आयोग
3	नारी शक्ति सम्मेलन [11 से 16 अप्रैल] (14 अप्रैल — डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती का दिन छोड़कर)	• टाउनहॉल के 15 स्थानों से अलग 100 चयनित महत्वपूर्ण स्थानों पर बड़े महिला शक्ति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे • इन सम्मेलनों में केवल महिला वक्ताओं की भागीदारी रहेगी • सम्मेलनों में सामाजिक संगठनों, प्रदेश महिला आयोग तथा प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी • सभी स्थानीय महिला जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी	प्रदेश महिला आयोग अनुसूचित जाति एवं जनजातीय आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	महिला आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग महिला एवं बाल वि विभाग

क्र.	गतिविधि [दिनांक]	विवरण	दायित्व	विभाग
4	नारी शक्ति पदयात्रा [15 और 16 अप्रैल]	• प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में नारी शक्ति पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा • देश भर में लगभग 2000 लोगों की सहभागिता के साथ कुल 500 पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी • प्रत्येक पदयात्रा का प्रभारी किसी महिला भाजपा सांसद/विधायक या पदाधिकारी को बनाया जाएगा • पदयात्रा में बैनर एवं कार्ड का प्रयोग भी किया जाएगा • पदयात्रा का नेतृत्व प्रतिष्ठित/सामाजिक सेविका महिला से करवाया जाएगा • NDA सरकार वाले प्रदेशों में लखपति दीदी लाभार्थियों, महाविद्यालय के लाभार्थियों, NCC/NSS के वॉलंटियर्स को भी पदयात्रा में जोड़ा जाएगा	भाजपा सरकार वाले प्रदेशों में प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशों में भाजपा संगठन	जनपदों के मा0 प्रभारी मंत्री, स्थानीय प्रशासन, ग्राम्य विकास विभाग उच्च शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग
5	बाइक एवं टी-शर्ट रैलियां [13 से 16 अप्रैल] (14 अप्रैल — डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती का दिन छोड़कर)	• 50 प्रमुख स्थानों पर 200 लोगों के साथ बाइक एवं टी-शर्ट रैलियां आयोजित की जाएंगी • ध्यान दिया जाए कि बाइक एवं टी-शर्ट रैली में केवल महिला प्रतिभागी रहेंगी • रैली में प्रमुख सामाजिक तथा महिला सेविकाओं की भागीदारी रहे	युवा एवं महिला मोर्चा अन्य सामाजिक संस्थाएं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से	युवा कल्याण विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग स्थानीय प्रशासन
6	मिस्ड कॉल नंबर एवं स्टिकर [10 अप्रैल]	• जनसमर्थन जुटाने हेतु मिस्ड कॉल नंबर और स्टिकर जारी किया जाएगा • इस नंबर और स्टिकर को सभी कार्यक्रम जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पदयात्रा, सम्मेलन, टाउनहॉल में प्रमोट करना है • जनसंपर्क के दौरान घर, बाइक आदि पर सीधे-सीधे स्टिकर लगाना है	केंद्र सरकार/संगठन	
7	Op-Ed/लेख का प्रकाशन [10 अप्रैल]	• 100 महिला विचारकों द्वारा अख़बारों में लेख और Op-Ed लिखे जाएंगे • प्रदेश में अधिक से अधिक महिला विचारकों, जनप्रतिनिधियों को Op-Ed/लेख/लिखने के लिए प्रेरित किया जाएगा • प्रदेश के सभी प्रमुख अख़बारों में प्रतिनिधित्व संबंधित लेख आए, ऐसी योजना बनानी है	केंद्र सरकार एवं भाजपा संगठन	सूचना विभाग
8	कलात्मक नवाचार [अभियान के दौरान]	• सैंड आर्ट, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, लोकगीत, और अन्य स्थानीय कलाविधाओं के प्रयोग से विमर्श निर्माण करना है	भाजपा सरकार वाले प्रदेशों में प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशों में भाजपा संगठन	संस्कृति विभाग
9	नारी शक्ति दीवार और मानव श्रृंखला	• सभी प्रमुख स्थानों पर "नारी शक्ति दीवार" स्थापित की जाएगी, जहाँ महिलाओं से	युवा मोर्चा	युवा कल्याण विभाग उच्च शिक्षा विभाग

क्र.	गतिविधि (दिनांक)	विवरण	दायित्व	विभाग
	[11 अप्रैल]	अपने विचार लिखने एवं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में हस्ताक्षर करने का आग्रह किया जाएगा • कम से कम 50 महिला कॉलेज, हॉस्टल, महाविद्यालयों आदि पर मानव शृंखला बनाई जाएगी। इस गतिविधि में बैनर और कार्ड का प्रयोग भी किया जाएगा।		
10	अन्य प्रमोशन [अभियान के दौरान]	• सभी जनसंपर्क कार्यक्रम जैसे टाउनहॉल, सम्मेलन, पदयात्रा, आदि में झंडियों और कार्ड का प्रयोग किया जाएगा • इसके अतिरिक्त होर्डिंग, बैनर के माध्यम से भी अधिनियम का प्रचार किया जाएगा	प्रदेश सरकार एवं संगठन	सूचना विभाग
11	सोशल मीडिया अभियान [10 अप्रैल]	• सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के समन्वय से व्यापक सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा • प्रदेश संगठन भी थीम गीत, वॉक्स-पॉप वीडियो और पॉडकास्ट आदि के माध्यम से सोशल मीडिया अभियान चलाने की योजना बनाए • प्रतिष्ठित व्यक्तियों के कम से कम 500 वीडियो इस अधिनियम की सराहना करते हुए बनाए जाएंगे और उन व्यक्तियों और भाजपा के सोशल मीडिया प्लेटफार्म से पोस्ट किए जाएंगे	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भाजपा संगठन	सूचना विभाग
12	स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्ताव [19 से 20 अप्रैल]	• स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद आदि द्वारा इस ऐतिहासिक विधेयक की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया जाएगा • इस प्रस्ताव की प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजी जाएगी	भाजपा शासित प्रदेशों में प्रदेश शहरी विकास/पंचायती राज/स्थानीय निकाय मंत्री अन्य प्रदेशों में प्रदेश द्वारा नियुक्त वरिष्ठ भाजपा नेता	नगर विकास विभाग

नोट 1: सभी जनसंपर्क कार्यक्रमों में जनहस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा जिससे अधिक से अधिक जन-समर्थन अर्जित हो सके — टाउन-हॉल में, नारी शक्ति सम्मेलन में, नारी शक्ति पदयात्रा में, बाइक टी-शर्ट रैली में।

नोट 2: इसी तरह मिस्ड कॉल नंबर का भी हर जनसंपर्क कार्यक्रम में व्यापक प्रचार करके अधिक से अधिक मिस्ड कॉल के माध्यम से जनसमर्थन प्राप्त करना है — प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टाउन-हॉल में, नारी शक्ति सम्मेलन में, नारी शक्ति पदयात्रा में, बाइक/टी-शर्ट रैली में और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से।

महत्वपूर्ण: सभी प्रदेश अभियान के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश स्तर की 5 लोगों की टोली अति-शीघ्र बनाकर केंद्रीय कार्यालय भेजें। जिन प्रदेशों में भाजपा सरकार है वहाँ, संगठन - सरकार में समन्वय हेतु 2 मंत्रियों को भी टोली का हिस्सा बनाएं।

कार्यालय
मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय पता-63बी/डी, मुख्य भवन, विधानसभा, लखनऊ।
कार्यालय दूरभाष-0522 2238051, 2238112(आवास)

संख्या:377(1)/पी0एस0उ0शि0/2026 दिनाँक: 11-04-2026

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।

कृपया संलग्न प्रपत्र ''नारी शक्ति वन्दन अधिनियम–प्रचार अभियान'' का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 10 अप्रैल, 2026 से 20 अप्रैल, 2026 तक महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में प्रमुख गतिविधियाँ आयोजित की जानी है। प्रपत्र में कमांक 4, तथा 9 पर उल्लिखित कार्यकम उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा तथा कम संख्या– 6 व 8 पर उल्लिखित कार्यकमों के संचालन हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर आयोजित किये जाने की मा0 मंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गयी है।

कृपया उक्त कार्यकम के आयोजन हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने की अपेक्षा की गयी है।

संलग्नक–यथोपरि।

11–04–2026

मूल पर नहीं।

प्रतिलिपि मय संलग्नक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

11–04–2026
(इन्द्र पाल)
प्रधान निजी सचिव,
मंत्री
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश।

<u>कार्यालय शिक्षा निदेशक,(उ0शि0) उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।</u>

पृष्ठांकन संख्या डिग्री विकास/ 95-98 / 2026-27 दिनांक-11.04.2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न पत्र में इंगित कार्यक्रमों को सम्पन्न कराते हुए उसकी विशेष चयनित फोटोग्राफ एवं आख्या इस कार्यालय के ईमेल- infodheup21@gmail.com, dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1- कुलसचिव, समस्त राज्य/ निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

2- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ ।

3- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

4- प्राचार्य/ प्राचार्या, समस्त राजकीय/ अशासकीय सहायता प्राप्त/ स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

डॉ0(बी0एल0 शर्मा)
शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
उ0प्र0, प्रयागराज ।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम — प्रचार अभियान

[10 अप्रैल, 2026 — 20 अप्रैल, 2026]

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित होने वाला विशेष संसद सत्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में अत्यंत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। यह सत्र महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नए अध्याय का प्रतीक होगा।

इसी संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन जी के निर्देशानुसार 10 से 20 अप्रैल तक पूरे देश में समन्वित अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी:

क्र.	गतिविधि (दिनांक)	विवरण	दायित्व	विभाग
1	प्रेस कॉन्फ्रेंस [11 और 13 अप्रैल]	• पूरे देश के 100 प्रमुख मीडिया केंद्रों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी • बड़े शहरों में 2 कॉन्फ्रेंस करने की योजना बनाई जाएगी • 11 और 12 अप्रैल को संगठन द्वारा एवं • 12 और 13 अप्रैल को अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा	प्रदेश भाजपा संगठन	सूचना विभाग
2	टाउन हॉल कार्यक्रम [12 से 15 अप्रैल] (14 अप्रैल — डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती का दिन छोड़कर)	• पूरे देश में अभियान 15 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाएगा • कार्यक्रमों में गैर-राजनीतिक एवं राजनीतिक महिला नेतृत्व को आमंत्रित किया जाएगा • दिल्ली में समापन माननीय प्रधानमंत्री जी तथा प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा • मंच पर केवल महिला वैचारिक नेतृत्व को स्थान दिया जाएगा • जिन प्रदेशों में भाजपा सरकार नहीं है, वहाँ नेता प्रतिपक्ष तथा केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी • टाउनहॉल कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रदेश महिला आयोग या किसी अन्य सामाजिक संगठन के तत्वावधान में किए जा सकते हैं • सभी स्थानीय महिला जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी	राष्ट्रीय महिला आयोग प्रदेश महिला आयोग	महिला एवं बाल विकास विभाग महिला आयोग
3	नारी शक्ति सम्मेलन [11 से 16 अप्रैल] (14 अप्रैल — डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती का दिन छोड़कर)	• टाउनहॉल के 15 स्थानों से अलग 100 चयनित महत्वपूर्ण स्थानों पर बड़े महिला शक्ति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे • इन सम्मेलनों में केवल महिला वक्ताओं की भागीदारी रहेगी • सम्मेलनों में सामाजिक संगठनों, प्रदेश महिला आयोग तथा प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी • सभी स्थानीय महिला जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी	प्रदेश महिला आयोग अनुसूचित जाति एवं जनजातीय आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	महिला आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग महिला एवं बाल विक विभाग

क्र.	गतिविधि [दिनांक]	विवरण	दायित्व	विभाग
4	नारी शक्ति पदयात्रा [15 और 16 अप्रैल]	• प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में नारी शक्ति पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा • देश भर में लगभग 2000 लोगों की सहभागिता के साथ कुल 500 पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी • प्रत्येक पदयात्रा का प्रभारी किसी महिला भाजपा सांसद/विधायक या पदाधिकारी को बनाया जाएगा • पदयात्रा में बैनर एवं कार्ड का प्रयोग भी किया जाएगा • पदयात्रा का नेतृत्व प्रतिष्ठित/सामाजिक सेविका महिला से करवाया जाएगा • NDA सरकार वाले प्रदेशों में लखपति दीदी लाभार्थियों, महाविद्यालय के लाभार्थियों, NCC/NSS के वॉलंटियर्स को भी पदयात्रा में जोड़ा जाएगा	भाजपा सरकार वाले प्रदेशों में प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशों में भाजपा संगठन	जनपदों के मा0 प्रभारी मंत्री, स्थानीय प्रशासन, ग्राम्य विकास विभाग उच्च शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग
5	बाइक एवं टी-शर्ट रैलियां [13 से 16 अप्रैल] (14 अप्रैल — डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती का दिन छोड़कर)	• 50 प्रमुख स्थानों पर 200 लोगों के साथ बाइक एवं टी-शर्ट रैलियां आयोजित की जाएंगी • ध्यान दिया जाए कि बाइक एवं टी-शर्ट रैली में केवल महिला प्रतिभागी रहेंगी • रैली में प्रमुख सामाजिक तथा महिला सेविकाओं की भागीदारी रहे	युवा एवं महिला मोर्चा अन्य सामाजिक संस्थाएं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से	युवा कल्याण विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग स्थानीय प्रशासन
6	मिस्ड कॉल नंबर एवं स्टिकर [10 अप्रैल]	• जनसमर्थन जुटाने हेतु मिस्ड कॉल नंबर और स्टिकर जारी किया जाएगा • इस नंबर और स्टिकर को सभी कार्यक्रम जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पदयात्रा, सम्मेलन, टाउनहॉल में प्रमोट करना है • जनसंपर्क के दौरान घर, बाइक आदि पर सीधे-सीधे स्टिकर लगाना है	केंद्र सरकार/संगठन	
7	Op-Ed/लेख का प्रकाशन [10 अप्रैल]	• 100 महिला विचारकों द्वारा अख़बारों में लेख और Op-Ed लिखे जाएंगे • प्रदेश में अधिक से अधिक महिला विचारकों, जनप्रतिनिधियों को Op-Ed/लेख/लिखने के लिए प्रेरित किया जाएगा • प्रदेश के सभी प्रमुख अख़बारों में प्रतिनिधित्व संबंधित लेख आए, ऐसी योजना बनानी है	केंद्र सरकार एवं भाजपा संगठन	सूचना विभाग
8	कलात्मक नवाचार [अभियान के दौरान]	• सैंड आर्ट, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, लोकगीत, और अन्य स्थानीय कलाविधाओं के प्रयोग से विमर्श निर्माण करना है	भाजपा सरकार वाले प्रदेशों में प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशों में भाजपा संगठन	संस्कृति विभाग
9	नारी शक्ति दीवार और मानव श्रृंखला	• सभी प्रमुख स्थानों पर "नारी शक्ति दीवार" स्थापित की जाएगी, जहाँ महिलाओं से	युवा मोर्चा	युवा कल्याण विभाग उच्च शिक्षा विभाग

क्र.	गतिविधि [दिनांक]	विवरण	दायित्व	विभाग
	[11 अप्रैल]	अपने विचार लिखने एवं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में हस्ताक्षर करने का आग्रह किया जाएगा • कम से कम 50 महिला कॉलेज, हॉस्टल, महाविद्यालयों आदि पर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इस गतिविधि में बैनर और कार्ड का प्रयोग भी किया जाएगा।		
10	अन्य प्रमोशन [अभियान के दौरान]	• सभी जनसंपर्क कार्यक्रम जैसे टाउनहॉल, सम्मेलन, पदयात्रा, आदि में झंडियों और कार्ड का प्रयोग किया जाएगा • इसके अतिरिक्त होर्डिंग, बैनर के माध्यम से भी अधिनियम का प्रचार किया जाएगा	प्रदेश सरकार एवं संगठन	सूचना विभाग
11	सोशल मीडिया अभियान [10 अप्रैल]	• सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के समन्वय से व्यापक सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा • प्रदेश संगठन भी थीम गीत, वॉक्स-पॉप वीडियो और पॉडकास्ट आदि के माध्यम से सोशल मीडिया अभियान चलाने की योजना बनाए • प्रतिष्ठित व्यक्तियों के कम से कम 500 वीडियो इस अधिनियम की सराहना करते हुए बनाए जाएंगे और उन व्यक्तियों और भाजपा के सोशल मीडिया प्लेटफार्म से पोस्ट किए जाएंगे	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भाजपा संगठन	सूचना विभाग
12	स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्ताव [19 से 20 अप्रैल]	• स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद आदि द्वारा इस ऐतिहासिक विधेयक की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया जाएगा • इस प्रस्ताव की प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजी जाएगी	भाजपा शासित प्रदेशों में प्रदेश शहरी विकास/पंचायती राज/स्थानीय निकाय मंत्री अन्य प्रदेशों में प्रदेश द्वारा नियुक्त वरिष्ठ भाजपा नेता	नगर विकास विभाग

नोट 1: सभी जनसंपर्क कार्यक्रमों में जनहस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा जिससे अधिक से अधिक जन-समर्थन अर्जित हो सके — टाउन-हॉल में, नारी शक्ति सम्मेलन में, नारी शक्ति पदयात्रा में, बाइक टी-शर्ट रैली में।

नोट 2: इसी तरह मिस्ड कॉल नंबर का भी हर जनसंपर्क कार्यक्रम में व्यापक प्रचार करके अधिक से अधिक मिस्ड कॉल के माध्यम से जनसमर्थन प्राप्त करना है — प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टाउन-हॉल में, नारी शक्ति सम्मेलन में, नारी शक्ति पदयात्रा में, बाइक/टी-शर्ट रैली में और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से।

महत्वपूर्ण: सभी प्रदेश अभियान के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश स्तर की 5 लोगों की टोली अति-शीघ्र बनाकर केंद्रीय कार्यालय भेजें। जिन प्रदेशों में भाजपा सरकार है वहाँ, संगठन - सरकार में समन्वय हेतु 2 मंत्रियों को भी टोली का हिस्सा बनाएं।